समक्ष: एस. एस. सोढ़ी, माननीय न्यायमूर्ति

स्वामी दया नंद के शिष्य आदित्य वेश, *-याचिकाकर्ता।*

बनाम

भजन लाल और अन्य, *–उत्तरदाता।*

1989 की चुनाव याचिका संख्या 1

3 अगस्त, 1990

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (*1951 का 43) - धारा 83* - चुनाव चिह्न का परिवर्तन - एक उम्मीदवार को गलती से आवंटित एक राजनीतिक दल को आवंटित चुनाव चिह्न - चुनाव आयोग के कहने पर ऐसी गलती को ठीक किया गया और दो दिनों के भीतर उम्मीदवार को नया चुनाव चिह्न आवंटित किया गया-चुनाव *को इस आधार पर चुनौती दी गई कि प्रतीक में परिवर्तन ने चुनाव के परिणाम को भौतिक रूप से* प्रभावित किया-*कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करने वाली याचिका-* अनुपस्थिति *प्रतीक में परिवर्तन के कारण पूर्वाग्रह दिखाने के लिए भौतिक तथ्यों और विवरणों का उपयोग करना-कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करने के लिए याचिका खारिज कर दी गई।*

अभिनिर्णित किया कि चुनाव याचिका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1954 की धारा 83 की आवश्यकताओं को पूरा करने से बहुत कम है।

(पैरा 7)

अभिनिर्णित किया कि अस्पष्ट कथन स्पष्ट रूप से दलीलों के अच्छी तरह से स्थापित कानून के जनादेश का उल्लंघन करते हैं, अर्थात्, कि वे सटीक, विशिष्ट और स्पष्ट होने चाहिए। केवल वोटों की उम्मीद को उस पर स्थापित किए जाने वाले कार्यों के कारण से संबंधित भौतिक तथ्यों के साथ तुलना नहीं की जा सकती है।

(पैरा 9)

अभिनिर्णित किया कि याचिकाकर्ता के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या में व्यापक असमानता, लौटाए गए उम्मीदवार और उसके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी की तुलना में, स्पष्ट रूप से लौटाए गए उम्मीदवार के चुनाव के किसी भी अनुमान से अलग है। याचिकाकर्ता को आवंटित प्रतीक में परिवर्तन से भौतिक रूप से प्रभावित किया गया है।

(पैरा 10)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 *के भाग 6, अध्याय* 2, धारा 80 से 84 *और* 100 *के प्रावधान के* तहत चुनाव याचिका *में प्रार्थना की गई है कि-*

(1) *चुनाव याचिका में उल्लिखित तथ्यों और आधारों के आधार पर* प्रतिवादी संख्या 1 के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया;

(2) *प्रतिवादी संख्या 2 ने 6 को फरीदाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र फरीदाबाद के चुनाव को अवैध तरीके से* आयोजित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया;

(3) *कोई अन्य आदेश जो यह माननीय न्यायालय इस मामले के तथ्यों और विशेष परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे, पारित किया जाए;*

(4) *6 फरीदाबाद* संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, फरीदाबाद के चुनाव नए सिरे से कराने का आदेश दिया जा सकता है;

(5) *लागत के साथ चुनाव याचिका को अनुमति दें।*

याचिकाकर्ता की ओर से *के. सी. शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता (डी. डी. गुप्ता, उनके साथ वकील)*

जे. के. सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता (आर. सी. सेतिया, अधिवक्ता, उनके साथ), *उत्तरदाताओं की ओर से।*

निर्णय

न्यायमूर्ति स. स. सोढ़ी

(1) याचिकाकर्ता को आवंटित चुनाव चिह्न में बदलाव, नवंबर 1989 में हुए हालिया चुनावों के दौरान, फरीदाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए प्रतिवादी श्री भजन लाल के चुनाव को चुनौती देने की नींव प्रदान करता है।

(2) 2 नवंबर, 1989 को, जो नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी, याचिकाकर्ता श्री आदित्य वेश को एक सर्कल के भीतर स्वास्तिक का प्रतीक आवंटित किया गया था। तब रिटर्निंग ऑफिसर के लिए यह तथ्य अज्ञात था कि यह कांग्रेस (जे) का आरक्षित प्रतीक था और इसलिए इसे किसी और को आवंटित नहीं किया जा सकता था। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्वाचन अधिकारी को दो दिन बाद 4 नवंबर, 1989 को इस त्रुटि का पता चला और उसी दिन चुनाव आयोग को इस मामले में पेश किया गया और एक आदेश प्राप्त किया गया कि चुनाव चिह्न बदल दिया जाए और इसके अलावा, याचिकाकर्ता के स्वयं के प्रदर्शन पर, इस आशय का एक संदेश भी उसी दिन उसे प्राप्त हुआ। हालांकि ये 7 नवंबर, 1989 को था कि उन्होंने पाया कि औपचारिक आदेश उनकी पार्टी के कार्यालय में पोस्ट किया गया था।

(3) इस प्रकार जो तथ्य सामने आता है वह यह है कि याचिकाकर्ता को इसके आवंटन के दो दिन बाद, एक सर्कल के भीतर स्वास्तिक का प्रतीक बदल दिया गया था। याचिकाकर्ताओं को तब सिर पर टोकरी ले जाने वाली महिला का प्रतीक दिया गया था। याचिकाकर्ता का मामला है कि चुनाव चिन्ह में इस बदलाव ने उसके और राष्ट्रपति के चुनाव को भौतिक रूप से प्रभावित किया। लौटा हुआ उम्मीदवार इसे अवैध और शून्य बना रहा है। इस संबंध में याचिकाकर्ता की दलीलें इस आशय की हैं कि जिस क्षण से एक सर्कल के भीतर स्वास्तिक का प्रतीक उसे आवंटित किया गया था, उसने तुरंत इस प्रतीक के साथ पोस्टर छपवाकर अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने अपने प्रचार के दौरान बैठकों की भी व्यवस्था की, जहां एक सर्कल के भीतर उनके प्रतीक को स्वास्तिक घोषित किया गया और इसलिए, उनके निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के बीच, उनका नाम प्रतीक के साथ विधिवत रूप से जुड़ा हुआ था। इसके बाद यह कहा गया कि प्रचार के दौरान, इस प्रतीक के साथ उनके नाम

को लाखों मतदाताओं के बीच प्रचारित किया गया था। इसके अलावा, चुनाव चिह्न के अचानक परिवर्तन से, उनका चुनाव अभियान गंभीर रूप से प्रभावित हुआ क्योंकि इसने उनके प्रचार अभियान को निलंबित कर दिया और उनके इजेक्टर्स को चुनाव के भाग्य के बारे में अंधेरे में डाल दिया।

(4) प्रतिवादी श्री भजन लाल ने अपनी वापसी में प्रारंभिक आपत्ति जताई कि याचिका में कार्रवाई का कोई कारण नहीं बताया गया है और

इसके अलावा याचिकाकर्ता ने यह नहीं कहा था, जैसा कि कानून द्वारा आवश्यक है, कि चुनाव चिह्न के कथित परिवर्तन ने वापस आए उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित किया था।

(5) प्रतिवादी की याचिका पर तैयार किए गए प्रारंभिक मुद्दे से निपटने में, जिसमें कार्रवाई का कोई कारण नहीं बताया गया है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 83 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों का विज्ञापन करना प्रासंगिक होगा, जिसमें कहा गया है कि एक चुनाव याचिका में "उन भौतिक तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण होना चाहिए जिन पर याचिकाकर्ता निर्भर करता है।

(6) अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि अधिनियम की धारा 83 के प्रावधान अनिवार्य हैं और जैसा कि हिदायतुल्लाह, सीजे ने *सामंत एन बालकृष्ण आदि व. गोर्ज फर्नांडीज* और *अन्य*[1] मे समझाया है, इस धारा 83 में पहले भौतिक तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण और फिर पूर्ण संभव विवरण की आवश्यकता होती है। किसी एक भौतिक तथ्य के पूर्ण कारण और चूक को तैयार करने के लिए आवश्यक तथ्य होने के नाते, यह देखा गया कि कार्रवाई का एक अधूरा कारण होता है और दावे का कथन खराब हो जाता है। दूसरी ओर, विवरणों का कार्य, इस तरह की और जानकारी के साथ कार्रवाई के कारण की पूरी तस्वीर पेश करना है ताकि विपरीत पक्ष को उस मामले को समझा जा सके जिसे उसे मिलना होगा। यह बताया गया था कि भौतिक तथ्यों और विवरणों के बीच कुछ अतिव्यापी हो सकता है, लेकिन ये दोनों काफी अलग थे। इसके अलावा, यह देखा गया कि एक याचिका जो केवल धारा का हवाला देती है, उसे कार्रवाई के कारण का खुलासा करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

(7) इस आलोक में देखा जाए तो इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता कि याचिका अधिनियम की धारा 83 की आवश्यकताओं को पूरा करने से बहुत कम है।

(8) याचिका में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि याचिकाकर्ता ने अपना चुनाव चिह्न बदलने से पहले दो दिनों के दौरान कहां प्रचार किया या बैठकें कीं। उन्होंने कितने लोगों के साथ प्रचार किया और ऐसी किसी भी बैठक की तारीख और समय। यहां तक कि बैठकों की संख्या का भी खुलासा नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में, याचिकाकर्ता द्वारा पुराने चुनाव चिह्न को बदलने से पहले उसके साथ संपर्क किए गए मतदाताओं की संख्या का कोई उल्लेख नहीं है और न ही उन लोगों के आंकड़े का, जो उनके अनुसार, प्रतीक के परिवर्तन के कारण उन्हें वोट नहीं दे सके। इस बात की

[1] A.I.R. 1969 S.C. 1201

भी कोई दलील नहीं है कि कितने लोगों ने उन्हें वोट दिया होगा, लेकिन चुनाव चिह्न बदलने के लिए, निश्चित रूप से, ऐसे किसी भी बयान के आधार पर समर्थन किया गया है।

(9) इस तरह की अस्पष्ट बातें, जैसा कि यहां याचिका में की गई हैं, स्पष्ट रूप से दलीलों के अच्छी तरह से स्थापित कानून के जनादेश का उल्लंघन करती हैं, अर्थात्; कि वे सटीक, विशिष्ट और स्पष्ट होने चाहिए। केवल वोट की उम्मीद को उस पर स्थापित किए जाने वाले कार्यों के कारण से संबंधित भौतिक तथ्यों के साथ तुलना नहीं की जा सकती है।

(10) लौटाए गए उम्मीदवार के चुनाव पर महाभियोग चलाने के लिए एक और महत्वपूर्ण और समान रूप से महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि इसे उस आधार से भौतिक रूप से प्रभावित दिखाया जाना चाहिए जिस पर चुनाव को रद्द करने की मांग की गई है। इस संदर्भ में, यह ध्यान रखना उचित होगा कि जबकि लौटाए गए उम्मीदवार द्वारा डाले गए वोटों की कुल संख्या 406436 थी और उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी खुर्शीद अहमद की 273419। याचिकाकर्ता को केवल 623 वोट मिले। लौटाए गए उम्मीदवार और उसके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी की तुलना में याचिकाकर्ता के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या में व्यापक असमानता स्पष्ट रूप से लौटाए गए उम्मीदवार के चुनाव के किसी भी अनुमान से अलग है, जो किसी भी तरह से याचिकाकर्ता को आवंटित किए गए एसवीएमबीओएल में बदलाव से प्रभावित हुआ है।

(11) निष्कर्ष पर पहुचने से पहले, यह उल्लेख करने योग्य है कि बहस के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने 4 नवंबर 1989 के रिटर्निंग अधिकारी के पत्र के साथ संलग्न फॉर्म 7-ए में यह बिंदु भी रखने की मांग की, (अनुलग्नक पी/6)। याचिकाकर्ता को आवंटित प्रतीक को "अपने सिर पर टोकरी ले जाने वाली महिला" के बजाय "अपने हाथ पर टोकरी ले जाने वाली महिला" के रूप में वर्णित किया गया है। यह तर्क दिया गया कि इस त्रुटि से चुनाव खराब होना चाहिए। यह देखा जाएगा कि याचिका में ऐसी कोई दलील नहीं है और दलीलों के क्रम में यह पहली बार था कि इसे उठाया गया था। अन्यथा भी, इसे पूरी तरह से योग्यता से रहित विवाद के रूप में लेबल नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है और न ही वास्तव में इसने किसी भी तरह से वापस आए उम्मीदवार के चुनाव को भौतिक रूप से प्रभावित किया है। इस प्रकार इस विवाद को केवल दूर करने के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए।

(12) इस प्रकार कोई संदेह नहीं हो सकता है कि प्रतिवादी के पास जवाब देने के लिए कोई मामला नहीं है क्योंकि याचिका में नहीं का खुलासा किया गया है। कार्रवाई का कारण और इसलिए, इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है, बल्कि, इसे पूरी तरह से

तुच्छ और बिना आधार के माना जाना चाहिए। तदनुसार, चुनाव याचिका को खारिज किया जाता है और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि बताया गया है, लागत के रूप में 5,000 रुपये के साथ।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मंदीप सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) Gurugram, हरियाणा